भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/38/2015 दिनांक : 2 जून, 2015

प्रेस नोट

विषय : **कुरनूल स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप निर्वाचन।**

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	टिप्पणी
एस. वी. चन्द्र मोहन रेड्डी	कुरनूल स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र	01.05.2017	दिनांक 18.05.2012 को त्याग-पत्र दिया

उपर्युक्त रिक्ति को भरने के लिए वर्ष 2012 में उप निर्वाचन आयोजित नहीं करवाया जा सका क्योंकि संघटक स्थानीय निकाय/निर्वाचकगण उस समय अस्तित्व में नहीं थे जबकि संघटक स्थानीय निकाय/निर्वाचकगण सदस्यों के साथ वर्ष 2014 में अस्तित्व में आए परन्तु आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य को दो राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में विभक्त कर दिया गया था और आंध्र प्रदेश को आबंटित स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में सीटों की संख्या के संदर्भ में, अधिनियम में विसंगतियां थीं, अर्थात्, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 23 के अनुसार, स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए आंबंटित सदस्यों की संख्या 17 थी परन्तु उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अधीन उस श्रेणी के अंतर्गत आबंटित सदस्यों की संख्या 20 थी। और, आयोग ने यह निर्णय लिया था कि उपर्युक्त रिक्ति को भरने के लिए उप निर्वाचन आयोजित करने से पहले उपर्युक्त विसंगति को दूर करना आवश्यक था। उक्त अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में, इस विसंगति को दूर करने के लिए इसे केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) को संदर्भित कर दिया गया था।

अब, इस विसंगति को दिनांक 30.03.2015 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015 के साथ पठित दिनांक 29.04.2015 के गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा दूर कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए सीटों की कुल संख्या 50 से बढ़ाकर 58 कर दी गई है और स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में सीटों की संख्या 20 ही रखी गई है।

तदनुसार, आयोग ने निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार उक्त रिक्ति को भरने के लिए आंध्र प्रदेश विधान परिषद के उक्त स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से एक उप निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-

क्रम सं.	कार्यक्रम का विषय	तारीख एवं दिन
1.	अधिसूचना जारी करना	9 जून, 2015 (मंगलवार)
2.	नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख	16 जून, 2015 (मंगलवार)
3.	नामांकनों की संवीक्षा	17 जून, 2015 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	19 जून, 2015 (शुक्रवार)
5.	मतदान की तारीख	3 जुलाई, 2015 (शुक्रवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वाहन 8.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक
7.	मतों की गणना	7 जुलाई, 2015 (मंगलवार) को पूर्वाहन 8.00 बजे
8.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	10 जुलाई, 2015 (शुक्रवार)

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में यथा प्रयोज्य आदर्श आचार संहिता उस जिले(लों) में, जहां पर उक्त निर्वाचन क्षेत्र आता है, में तुरंत प्रभाव से लागू होगी। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों के विरूपण संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेश भी लागू होंगे। इस निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने वाले प्रावधानों का एक विस्तृत संयुक्त अनुदेश अलग से जारी कर दिया गया है।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक